कार्यालय, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक–वा0क0अधि0 / परिपत्र / पटल परिवर्तन / 1999 / 2024,लखनऊ::दि0::जून, 13, 2024

समस्त सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0–4 / 2024 / 144–सामान्य / सैंतालीस–का–4–2024–1 / 3 / 96 दिनांक 11.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष–2024–25 की सरकारी अधिकारी / कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति निर्गत की गई है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में निर्देशानुसार अवगत कराना है कि स्थानान्तरण नीति वर्ष–2024–25 के प्रस्तर–III के बिन्दु संख्या–5 में यह निर्देश दिये गये हैं कि समूह–ग के पटल परिवर्तन / क्षेत्र परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश स0–8 / 2022 / सा0–119 / सैंतालीस–4– 2022(1 / 3 / 96) दिनांक 13.05.2022 के अनुसार समूह–ग के समस्त कार्मिकों का जिनको एक ही पटल पर तीन वर्ष या उससे अधिक हो गया है उनका पटल परिवर्तन प्राथमिकता के आधार पर किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतैव समूह–ग के जिन कर्मचारियों को एक ही पटल पर तीन वर्ष या उससे अधिक का समय हो गया है, उनका दिनांक 30.06.2024 से पूर्व पटल परिवर्तन करते हुए सूचना मुख्यालय प्रेषित करने का कष्ट करें।

(तरुण कुमार)
निबन्धक,वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
2. वरिष्ठ सहायक, विवरण मुख्यालय।
3. वेव अधिकारी, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. वरिष्ठ सहायक–स्थापना–1, मुख्यालय।

निबन्धक,वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।